कानूनी साक्षरता
हटाये दुर्बलता

जन कल्याणकारी योजनायें - एक नजर में

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
574, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.)

कानूनी साक्षरता
हटाये दुर्बलता

जन कल्याणकारी योजनायें - एक नजर में

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
574, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.)

प्रस्तावना

सामाजिक न्याय की अवधारणा समता के सिद्धान्त में निहित है, सामाजिक न्याय एवं समता एक दूसरे के पूरक हैं। विधि के शासन में सामाजिक न्याय समता को जन्म देता है। सामाजिक न्याय एक व्यवस्था है तो आर्थिक न्याय एक आवश्यकता है। हमारा संविधान देश के सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान करना सुनिश्चित करता है। भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। उनमें गरीबी व अशिक्षा का प्रतिशत अधिक है इसलिए राज्य की कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों, कानूनों, नियमों, विधिक सेवा कार्यक्रमों एवं योजनाओं उनके अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी उन तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता महसूस की गई है जो ग्रामीण जनता के द्वार तक पहुंच कर उन्हें न्याय प्रदान करा सके।

भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारतीय संविधान में एक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है और यह आशा की गई है कि राज्य के सभी क्रियाकलापों का आधार लोक कल्याण सामाजिक न्याय एवं जनहित होगा। राज्य के द्वारा बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ आम जनता को तभी प्राप्त हो सकता है जब इन योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में समाज एवं शासन की सक्रिय भागीदारी हो। परन्तु प्रदेश में अशिक्षा, गरीबी, बढ़ती जनसंख्या व बेरोजगारी ने सक्रियता, जनसहभागिता का ग्राफ नीचे कर रखा है। यही कारण है कि शासन द्वारा जनकल्याण की संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ आम जनता को नहीं मिल पाता। न्याय प्राप्ति के संदर्भ में यह परिकल्पना की गई है कि निर्धनता, आर्थिक या अन्य निर्योग्यता, अशिक्षा व अवसरों की असमानता के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय के समान अवसर से वंचित नहीं रहना चाहिए।

अतः विधिक जागरूकता उत्पन्न कर एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराकर शीघ्र व त्वरित न्याय के उपाय सुनिश्चित करते हुए ''न्याय सबके लिए'' उपलब्ध कराने की महती आवश्यकता है।

इस हेतु मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ''राष्ट्रीय कानूनी साक्षरता मिशन'' के अंतर्गत लोगों को विधिक जागरूक बनाये जाने के उद्देश्य से ''जनकल्याकारी योजनायें - एक नजर में'' पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है। इस पुस्तक में समाज के जरूरतमंद लोगों को विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, बच्चों, गरीब किसान, मजदूर, विकलांग आदि कमजोर वर्गों के लोगों से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों, विधि एवं नियमों से संबंधित विषयों का सार संकलन है, इसमें समाज के उक्त वर्गों को शासन एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिये जा रहे लाभ व सुविधाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियों का समावेश है।

यह पुस्तक निश्चित ही समाज के सर्वहारा वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं दिन प्रतिदिन की समस्याओं के निदान के लिए अत्यन्त उपयोगी साबित होगी।

ईश्वर द्वारा निर्मित हवा-पानी की तरह सब चीजों पर सबका समान अधिकार होना चाहिए।

– **महात्मा गांधी**

✤ ✤ ✤

अधिकार की अपनी मर्यादा होती है। उस मर्यादा की रक्षा करने के लिए अधिकार प्रयोग को संयत रखना पड़ता है।

– **रवीन्द्रनाथ ठाकुर**

"जनकल्याणकारी योजनायें - **एक नजर में**"

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विभाग का नाम	पृष्ठ संख्या
1.	मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	1
2.	महिला एवं बाल विकास विभाग	6
3.	पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग	9
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- म.प्र.	12
5.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	14
6.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग	16
7.	वन विभाग	24
8.	राजस्व विभाग	25
9.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	29
10.	विद्युत विभाग	30
11.	श्रम विभाग	33
12.	सांख्यकीय विभाग (जन्म-मृत्यु पंजीयन)	36
13.	सोलेशियम स्कीम, 1989	38

1. मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

विधिक सेवा (विधिक सहायता/सलाह) योजना

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा गरीब, असहाय, पीड़ित एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को उनके विरुद्ध चल रहे प्रकरण या उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता दी जाती है।

विधिक सेवायें कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है :-

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन ऐसा व्यक्ति विधिक सहायता/सलाह प्राप्त कर सकता है :-

(1) जो अनुसूचित जाति/जनजाति का है,

(2) ऐसा व्यक्ति जो लोगों के दुर्व्यवहार से पीड़ित है या जिससे बेगार कराया जा रहा हो,

(3) महिला या बालक हो,

(4) ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से अस्वस्थ्य है या अन्यथा असमर्थ है, या निर्योग्य है। निर्योग्यता से तात्पर्य है :-

   क. अंधापन

   ख. कमजोर दिखाई देना

   ग. जिसे कुष्ठ रोग है

   घ. कम सुनाई देना

   ड. जो चल फिर नहीं सकता

   च. जो दिमागी रूप से बीमार हो।

(5) ऐसा व्यक्ति जो बहुविनाश, जातीय हिंसा या जातीय अत्याचार से सताया गया है, प्राकृतिक आपदा जैसे- भूकंप, बाढ़, सूखा आदि से पीड़ित है ।

(6) ऐसा व्यक्ति जो औद्योगिक कर्मकार है,

(7) ऐसा व्यक्ति जो बंदी है,

(8) ऐसा व्यक्ति जिसकी वर्ष भर की आमदनी 50 हजार रुपये से ज्यादा नहीं है।

किस तरह की विधिक सेवा मिलती है :-

विधिक सेवा के पात्र व्यक्ति जिसका प्रकरण अदालत में चल रहा हो या चलाना है, उसे मामले में लगने वाली :-

1. कोर्टफीस,
2. तलवाना,
3. टाईपिंग/फोटोकापी खर्च,
4. गवाह का खर्च,
5. अनुवाद कराने में लगने वाला खर्च,
6. निर्णय/आदेश तथा अन्य कागजातों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का पूरा खर्च,
7. वकील फीस।

उपरोक्त विधिक सेवा तहसील न्यायालय से लेकर जिला स्तर के सभी न्यायालयों / अधिकरणों, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में प्रदान कराई जाती है।

नोट- यदि विधिक सहायता प्राप्त व्यक्ति के पक्ष में न्यायालय कोई डिक्री या कोई आदेश पारित करते हुए खर्चे या अन्य आर्थिक लाभ प्रदान करता है तो विधिक सहायता प्राप्त व्यक्ति को समस्त खर्च, प्रभार तथा व्यय की गई राशि जो उसे विधिक सेवा प्रदान करने में दी गई है, वापिस लौटाना होगी।

लोक अदालत योजना

शीघ्र, सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आपसी समझौते के आधार पर विवादों के निराकरण के लिये उच्च न्यायालय, जिला एवं तहसील स्तर के न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।

मुख्य रूप से लोक अदालतें दो प्रकार के प्रकरणों पर विचार करती हैं :-

(1) ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में विचाराधीन हैं,

(2) ऐसे प्रकरण जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं। (प्रीलिटिगेशन)

लोक अदालत के लाभ :-

1. पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है तथा दुश्मनी/वैमनस्यता समाप्त हो जाती है।
2. समय, पैसा एवं अनावश्यक मेहनत की बचत हो जाती है।

3. लोक अदालत में मामला निपट जाने पर मामले में लगी कोर्ट फीस 10 प्रतिशत काटकर शेष वापिस हो जाती है।

4. लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण होने से लोक अदालत के निर्णय या आदेश/डिक्री/अवॉर्ड के विरुद्ध कोई अपील या रिवीजन नहीं होती।

5. मोटर दावा दुर्घटना एवं अन्य क्षतिपूर्ति प्रकरणों में मुआवजा राशि शीघ्र मिल जाती है।

6. पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।

लोक अदालत का आयोजन :-

न्यायालयों में लंबित प्रकरणों तथा मुकदमेबाजी के पूर्व के विवादों (प्री-लिटिगेशन) को आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किये जाने के लिये लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। सामान्यतः किसी भी अवकाश के दिन / रविवार को अथवा कार्य दिवस में न्यायालयीन समय के बाद उच्च न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। जिला एवं तहसील न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन माह के प्रति शुक्रवार एवं प्रथम तथा तृतीय शनिवार को अथवा अवकाश के दिन या रविवार को किया जाता है। पक्षकार आवेदन देकर अपने मामले का निराकरण आपसी समझौता / सुलह के आधार पर लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं।

लोकोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत :-

विधिक सेवा प्राधिकारण अधिनियम, 1987 की धारा 22 ख के अंतर्गत मध्यप्रदेश में लोकोपयोगी सेवाओं जैसे :- (1) वायु, सड़क या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिये यातायात सेवा या (2) डाक, तार या टेलीफोन सेवा या (3) किसी स्थापन द्वारा जनता को विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय, या (4) सार्वजनिक मल वहन या स्वच्छता प्रणाली या (5) अस्पताल या औषधालय सेवा या (6) बीमा सेवा से संबंधित विवाद, जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुये हैं, के निराकरण के लिये सात स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की गई है। यह स्थायी लोकअदालतें जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा एवं सागर जिलों के जिला न्यायालय परिसर में कार्य कर रही हैं। इनकी बैठकें प्रत्येक शुक्रवार को न्यायालय समय के उपरांत होती हैं।

विधिक साक्षरता शिविर योजना :-

हर व्यक्ति को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। जानकारी के अभाव में वे अपने अधिकार एवं न्याय पाने से वंचित रहते हैं। इसलिए म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के हर व्यक्ति को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देने एवं विधिक जागरूक बनाये जाने के लिए विधिक साक्षरता शिविर योजना बनाई गई है। जिसके अंतर्गत जिला, तहसील तथा ग्रामीण अंचलों में समय-समय पर आयोजित विधिक साक्षरता शिविरों में न्यायाधीश, वकील, जिले के

अधिकारीगण, सामाजिक कार्यकर्तागण, महिलायें, समाजसेवी आदि जाकर लोगों को विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, बच्चों, गरीब किसानों, मजदूरों को उनकी रोज की परेशानियों, कठिनाईयों को दूर करने तथा उनके लिये बनाये गये तरह-तरह के नियमों, कानूनों की जानकारी देकर उन्हें विधिक जागरूक बनाने का प्रयास करते हैं।

अतः इन विधिक साक्षरता शिविरों में कोई भी व्यक्ति जाकर अपनी समस्याओं का निदान करा सकता है तथा कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना :-

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ''जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना 2001'' बनाई गई है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय परिसर में स्थापित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में ''जिला विधिक परामर्श केन्द्र'' कार्यरत है। ''जिला विधिक परामर्श केन्द्र'' द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जो अशिक्षा व अज्ञानता के कारण अपने कर्तव्य व अधिकार नहीं जानते तथा अपने कानूनी एवं वैधानिक अधिकारों की जानकारी से वंचित रहते हैं या जिन्हें किसी विधिक परामर्श की आवश्यकता होती है उन्हें निःशुल्क विधिक परामर्श देकर उनकी समस्याओं का निदान किया जाता है।

पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना :-

पारिवारिक विवाद में परिवार के बीच पैदा हुए किसी भी तरह के विवाद यथा- विवाह की समस्याओं, सम्पत्ति का विवाद एवं बटवारा, भरण-पोषण बच्चों की सुरक्षा, उनकी देख-भाल आदि शामिल है। पारिवारिक विवाद को आपसी सूझ-बूझ से सद्भावपूर्ण वातावरण में समझौते के आधार पर दूर करना चाहिए। इससे परिवार में एकता बढ़ती है। इसी को देखते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना बनाई है। ''पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र'' जिले एवं तहसील न्यायालयों में कार्यरत हैं। पारिवारिक विवाद उत्पन्न होने पर जिले में पदस्थ जिला विधिक सहायता अधिकारी को आवेदन दिया जा सकता है, जिसे पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र की बैठक के समय रखा जाता है। केन्द्र के सदस्यों द्वारा दोनों पक्षों से बात चीत कर सद्भावपूर्ण और हंसी खुशी का वातावरण बनाकर आपसी समझौते के आधार पर विवाद का तुरन्त समाधान किया जाता है। यह एक ऐसी योजना है, जिसकी मदद से टूटते-बिखरते परिवार आपस में मिलते हैं एवं सुख शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। इस केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही और समझौते को गुप्त रखा जाता है, जिससे परिवार के सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचे।

मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना :-

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ''मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना 2001'' बनाई गई है। यह योजना प्रत्येक जिला एवं तहसील स्तर पर स्थापित मजिस्ट्रेट न्यायालयों

में निरुद्ध बंदियों को रिमाण्ड प्रकरणों में पैरवी करने एवं जमानत के लिए आवेदन देने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त किया जाकर विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कोई भी व्यक्ति स्वतः या अपने रिश्तेदार द्वारा संबंधित मजिस्ट्रेट अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी को आवेदन देकर यह सहायता प्राप्त कर सकता है।

विवाद विहीन ग्राम योजना :-

विवाद विहीन ग्राम का तात्पर्य ऐसे गांव से है जिसमें उस गांव में रहने वाले व्यक्तियों का कोई विवाद न्यायालय में लंबित न हो और यदि हो तो उसे आपसी सूझ-बूझ व समझौते द्वारा न्यायालय में निपटा लिया गया है, जिससे कोई विवाद शेष न रहे। यह कार्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा किया जा रहा है। इसमें अधिक से अधिक गांवों को विवाद विहीन बनाया जाकर वहां सुख-शांति लाने के प्रयास किये जाते हैं।

लीगल एड क्लीनिक :-

यह क्लीनिक म.प्र. उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर एवं उसकी दोनों खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर एवं जिला न्यायालयों में कार्यरत है, जिसमें न्यायलय भवन में निर्धारित स्थान पर प्रतिदिन कार्य दिवस में योग्य अभिभाषक बैठकर लोगों को उनकी समस्याओं के बारे में मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह देते हैं।

महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई :-

महिला एवं बच्चों से संबंधित समस्याओं का निदान कर उन्हें शीघ्र न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में ''महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई'' का गठन किया गया है। यह इकाई महिला एवं बच्चों में उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों के संबंध में उन्हें जागरूक कर, उनकी समस्याओं का निदान करती है।

श्रमिकों के विरुद्ध अपराध-प्रकोष्ठ :-

श्रम, विधियों के प्रभावकारी क्रियान्वयन, श्रमिक कामगारों की सुरक्षा, उन्हें निर्धारित मजदूरी दिलाने, महिला कामगारों के प्रति भेदभाव एवं उन्हें लैंगिक प्रताड़ना से रोकने तथा बच्चों को श्रमिक के रूप में कार्य करने से रोकने के संबंध में एवं हितग्राही को न्याय दिलाने के लिए राज्य के प्रत्येक सिविल जिले में जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में ''श्रमिकों के विरुद्ध अपराध-प्रकोष्ठ'' का गठन किया गया है। कोई भी पीड़ित श्रमिक जिसके विरुद्ध अन्याय या अत्याचार हो रहा है या उसे समान मजदूरी न देकर भेदभाव किया जा रहा है, वह न्याय प्राप्त करने एवं अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए उक्त प्रकोष्ठ में जाकर आवेदन दे सकता है।

2. मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजना एवं कार्यक्रम :-

1. **किशोरी शक्ति योजना** :- इस योजना के अन्तर्गत 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को मुख्यतः संतुलित आहार, किशोरावस्था समस्यायें एवं उपचार, आर्थिक स्वावलंबन, टीकाकरण तथा साक्षरता के लिये प्रशिक्षित किया जाता है।

2. **ग्राम्या योजना** :- इस योजना के अंतर्गत छोटो-मोटा व्यवसाय करने वाली ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को, जो साप्ताहिक या दैनिक हाट के बाजारों में दुकान लगाकर काम-धंधा करती हैं को, उनके इस व्यवसाय में वृद्धि के लिये, रुपये 500/- की राशि ब्याज रहित कर्ज के रूप में उपलब्ध कराई जाती है तथा यह राशि संबंधित महिलाओं से रुपये 10/- प्रति सप्ताह में वसूल की जाती है। यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत म.प्र. आर्थिक विकास निगम द्वारा संचालित है।

3. **स्व-महायता समूह योजना** :- इसमें महिलाओं को संगठित कर उनके विकास और सशक्तिकरण हेतु स्व-सहायता समूहों का गठन कर ऐसे समूहों को उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है।

4. **समर्थ योजना** :- इसमें महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु सहयोग दिया जाता है, जिसमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्तता महिलाओं को लाभांवित किया जाता है। इसे विभिन्न शासकीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों अथवा शासन से मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश मिलने पर प्रशिक्षण में होने वाले व्यय, महिला विकास निगम द्वारा किया जाता है।

5. **फोटो कॉपियर योजना** :- इस योजना के तहत पंजीयन कार्यालयों में ऋण/अनुदान की सहायता से व्यक्तिगत रूप से महिलाओं को फोटो कॉपियर मशीन उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें विधवा, परित्यक्ता, विकलांग महिलाएं तथा जो 19 से 45 वर्ष के बीच की हों तथा जो कम से कम हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों, को प्राथमिकता दी जाती है।

6. **कौशल उन्नयन योजना** :- इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को उनकी दक्षता के अनुरूप व्यवसायिक प्रशिक्षण किसी भी व्यक्तिगत संस्था/स्वयंसेवी संस्था/शासकीय संस्थान आदि के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इसमें अधिकतम प्रति प्रशिक्षण रुपये 1500/- प्रदान किये जाते हैं। प्रशिक्षण अवधि 1 से 3 दिवस होती है।

7. **टंकण योजना** :- इस योजना के अंतर्गत शिक्षित व आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु हिन्दी/अंग्रेजी टंकण (टाइपिंग) का निःशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण संस्था के माध्यम से दिया जाता है।

8. **लाड़ली लक्ष्मी योजना** :- प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने, कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने के उद्देश्य से ''लाड़ली लक्ष्मी योजना'' 01 अप्रेल, 2007 से लागू की गई है। इस योजना का लाभ केवल ऐसी बालिकायें ले सकती हैं :-

- जिनका जन्म 1 जनवरी 2006 को या उसके बाद हुआ हो।
- उनका पंजीयन प्रदेश के किसी भी आंगनबाड़ी केन्द्र में हुआ हो।
- जिनके माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों, आयकर दाता न हों और उनकी दो या दो से कम संतान हो तथा माता-पिता ने इस योजना में पंजीकरण हेतु आवेदन करने के पूर्व परिवार नियोजन अपना लिया हो।
- द्वितीय प्रसव पर जुड़वा बालिका होने की स्थिति में दोनों बालिकाओं को इसका लाभ प्रदान किया जावेगा।
- बालिका किसी अनाथालय या अनुसंरक्षण गृह में निवासरत हो।

पंजीयन :-

दिनांक 31 मार्च 2008 तक या दूसरी संतान के जन्म से एक वर्ष के अन्दर (जो भी बाद में हो) योजना में पंजीयन के लिये माता-पिता / अभिभावक द्वारा संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि बालिका अपने माता-पिता की प्रथम संतान है तो द्वितीय संतान के जन्म के एक वर्ष के अन्दर पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि प्रथम एवं द्वितीय दोनों संतानों का जन्म 1 अप्रेल 2007 के पूर्व हो चुका हो तो ऐसी स्थिति में 1 अप्रेल 2007 के पूर्व जन्म लेने वाली बालिकाओं के पंजीयन के लिये आवेदन 31 मार्च 2008 तक प्रस्तुत किया जा सकेगा। बालिका के अनाथ होने की दशा में अनाथालय के अधीक्षक द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।

लाभ :-

1. पात्र बालिका को 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष रुपये 6000/- के मान से कुल 30,000/- राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से प्रदान किये जायेंगे।

2. बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर रुपये 2000/-, कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने पर रुपये 4000/- और कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर रुपये 7500/- का एकमुश्त भुगतान किया जावेगा।

कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं में अध्ययन की अवधि में प्रति माह 200/- की छात्रवृत्ति बालिका को प्रदान की जावेगी। बालिका की आयु 18 वर्ष की होने पर तथा कक्षा 12 वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर शेष एकमुश्त राशि का भुगतान किया जायेगा, जो लगभग 1 लाख 18 हजार रुपये होगी, परन्तु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पश्चात हुआ हो।

निर्धारित पात्रता सम्बन्धी शर्तों का पालन न करने पर या हितग्राही बालिका की असामयिक मृत्यु की दशा में बालिका को देय समस्त लाभ शासन को समर्पित समझे जायेंगे।

यदि किसी परिवार की दो बालिकायें इस योजना के तहत हितग्राही हैं, तो उनमें से किसी एक बालिका की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उत्तरजीवी बालिका को मृत बालिका के समस्त हित लाभ स्थानान्तरित हो जायेंगे लेकिन दूसरी बालिका की भी असामयिक मृत्यु हो जाने की दशा में बालिकाओं को देय समस्त हित लाभ शासन को समर्पित समझे जायेंगे।

मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित उपरोक्त योजना क्रमांक 1 से 8 तक का लाभ प्राप्त करने के लिये ग्राम स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, विकास खण्ड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्पर्क करें।

- अशासकीय समाजसेवी संस्थाओं को अनुदान :- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ऐसी स्वैच्छिक अशासकीय संस्थाओं जिन्हें विभागीय मान्यता प्राप्त है, को उनके द्वारा संचालित महिलाओं / बच्चों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों यथा सामाजिक कल्याण, बाल कल्याण और आर्थिक स्वावलम्बता कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
- अनाथ कन्याओं, अविवाहित माताओं, विधवा परित्यक्ताओं, अद्य:पतन की आशंका वाली बेसहारा महिलाओं को सामाजिक और शैक्षणिक संरक्षण देते हुये उनके भरण-पोषण, शिक्षण-प्रशिक्षण और पुर्नवास की व्यवस्था हेतु ग्वालियर, सतना, जबलपुर और उज्जैन में शासकीय नारी निकेतन संस्थायें संचालित हैं। उपेक्षित एवं निराश्रित बच्चों का लालन-पालन पोषण कर उन्हें शिक्षित बनाकर आत्मनिर्भर करने के लिये नवनिराश्रित बाल गृह कार्यरत हैं।
- पारिवारिक विवादों, तनावों के कारण विपत्तिग्रस्त बालिकाओं और महिलाओं को अल्पकालीन आवास उपलब्ध कराकर उन्हें प्रशिक्षण दिलाकर आत्म निर्भर बनाने हेतु जबलपुर एवं रीवा में दो शासकीय अल्पकालीन आवास गृह संचालित हैं।

3. मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित योजनायें :-

(1) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना :-

दीनदयाल अन्त्योदय मिशन के सौजन्य से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले या निराश्रित परिवार की कन्या/विधवा/ परित्यक्ता के सामूहिक विवाह में गृहस्थी की व्यवस्था के लिये प्रति आवेदक रुपये पांच हजार तथा सामूहिक विवाह के व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु एक हजार रुपये प्रति आवेदक के मान से सहायता प्रदान की जाती है।

जिसकी पात्रता के लिये आवेदक :-

(अ) मध्यप्रदेश की निवासी हो एवं उसका परिवार मध्यप्रदेश में निवासरत हो ; तथा

(ब) निराश्रित एवं निर्धन परिवार की कन्या / विधवा / परित्यक्ता ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।

इस योजना के आवेदन सभी जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों के कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध हैं।

(2) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :-

पेंशन हेतु पात्रता :- इस योजना के अन्तर्गत पेंशन के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-

- 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित व्यक्ति।
- 18 वर्ष अथवा अधिक आयु की निराश्रित विधवा एवं परित्यक्त महिलायें।
- 6 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले निःशक्त बच्चे। शहरी बच्चे गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के अथवा निराश्रित होना चाहिये।
- 14 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित निःशक्त व्यक्ति ।
- निराश्रित व्यक्ति से अभिप्राय ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जीविका अर्जित करने की क्षमता खो दी हो और उसके भरण पोषण के लिये उसे सहारा देने वाला कोई न हो।

लाभ :- वर्तमान में हितग्राहियों को 275 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। पेंशन राशि का भुगतान बैंक/पोस्ट ऑफिस में हितग्राहियों के नाम से खोले गये खातों में राशि जमा कर किया जाता है।

(3) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :-

उद्देश्य:- भारत सरकार की इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के ऐसे सदस्य की मृत्यु होने जिसकी कमाई से ही अधिकांश परिवार का गुजारा चलता हो, तो ऐसे परिवार को एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

पात्रता :-

- परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करता हो,
- परिवार के ऐसे सदस्य की मृत्यु हो जाये, जिसकी कमाई से ही अधिकांश परिवार का गुजारा होता है,
- मृत्यु के दिनांक को मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 65 वर्ष से कम हो,
- परिवार में पति-पत्नी, अवयस्क बच्चे, अविवाहित पुत्रियों, आश्रित माता-पिता, अविवाहित वयस्क एवं अवयस्क भाई /बहिन शामिल माने जायेंगे।
- सहायता राशि 10,000/- (दस हजार रुपये) एक मुश्त।

(4) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को विशेष साधन / उपकरण देने की योजना :-

इस योजना में अंधे, गूंगे, बहरे और विकलांग व्यक्तियों को उनके शारीरिक दोष को दूर करने के लिये विशेष साधन / उपकरण प्रदाय किये जाते हैं। इसके लिये मेडिकल बोर्ड का 40 प्रतिशत विकलांगता या उससे अधिक का प्रमाण पत्र आवश्यक है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों के लिए आयु 6 से 25 वर्ष तथा अन्य व्यक्तियों के लिए 16 से 55 वर्ष होना चाहिए तथा मासिक आय रुपये 2000/- से अधिक न हो।

(5) विकलांग छात्र/छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति :-

छात्रवृत्ति की दर निम्नानुसार है :-

(i) **प्राथमिक शिक्षा स्तर-**

(अ) बालक रुपये 25 प्रतिमाह (ब) बालिका रुपये 35 प्रतिमाह

(ii) **माध्यमिक शिक्षा स्तर-**

(अ) बालक रुपये 30 प्रतिमाह (ब) बालिका रुपये 40 प्रतिमाह

(iii) **उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए) -**

(अ) बालक गैर छात्रावासी
रुपये 110 प्रतिमाह

(ब) बालक छात्रावासी
रुपये 500 प्रतिमाह

(स) बालिका गैर छात्रावासी
रुपये 120 प्रतिमाह

(द) बालिका छात्रावासी
रुपये 500 प्रतिमाह

(iv) **उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर (अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए)**

(अ) बालक गैर छात्रावासी
रुपये 120 प्रतिमाह

(ब) बालक (छात्रावासी)
रुपये 50 प्रतिमाह

(स) बालिका गैर छात्रावासी
रुपये 60 प्रतिमाह

(द) बालका (छात्रावासी)
रुपये 60 प्रतिमाह

(v) **स्नातक शिक्षा स्तर (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये)**

(अ) बालक/बालिका गैर छात्रावासी
रुपये 250 प्रतिमाह

(ब) बालक/बालिका
छात्रावासी रु. 500 प्र.मा.

(vi) **स्नातक शिक्षा स्तर (अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिये)**

(अ) बालक/बालिका गैर छात्रावासी
रुपये 250 प्रतिमाह

(ब) बालक/बालिका
छात्रावासी रु. 500 प्र.मा.

(vii) **स्नातक शिक्षा स्तर (अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिये)**

(अ) बालक/बालिका गैर छात्रावासी
रुपये 65 प्रतिमाह

(ब) बालक/बालिका
छात्रावासी रुपये 60 प्र.मा.

(viii) **स्नातकोत्तर शिक्षा स्तर (सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये)**

(अ) बालक/बालिका गैर छात्रावासी
रुपये 300 प्रतिमाह

(ब) बालक/बालिका
छात्रावासी रु. 525 प्र.मा.

(ix) **स्नातकोत्तर शिक्षा स्तर (अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के लिये)**

(अ) बालक/बालिका गैर छात्रावासी
रुपये 60 प्रतिमाह

(ब) बालक/बालिका
छात्रावासी रुपये 50 प्र.मा.

- **पात्रता :-**

1. केवल अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ही उक्त छात्रवृत्ति दी जाती है।
2. तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में डिप्लोमा/पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत निःशक्त बालक/बालिकाओं को स्नातक स्तर की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जायेगी।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा प्रदाय की जा रही छात्रवृत्ति के अतिरिक्त इस वर्ग के छात्र-छात्राओं को अतिरिक्त रूप से उपरोक्त दर्शाये अनुसार निःशक्त छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय विभाग द्वारा भी प्रदाय की जावेगी।

- **नोट :-**

ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति संबंधित जनपद पंचायत द्वारा एवं नगरीय क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को जिला कार्यालय पंचायत एवं सामाजिक न्याय द्वारा स्वीकृत की जाती है।

पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग की उपरोक्त योजना क्रमांक 1 से 5 का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही संबंधित ग्राम/जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र के हितग्राही नगरीय निकाय (नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत) से संपर्क कर सकते हैं।

---

4. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-म.प्र.

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पारित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार गांव के वयस्क व्यक्तियों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा।

कौन लोग इस अधिनियम के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने के हकदार हैं :-

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले वयस्क व्यक्ति तथा

(2) जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों।

पंजीकरण कैसे कराएं :- अपनी ग्राम पंचायत में अपना पंजीकरण कराएं। जिसमें अपना नाम, पता और आयु लिखाएं। यह पंजीकरण 5 वर्ष तक मान्य होगा।

जॉब कार्ड :- पंजीकरण के बाद पंचायत का यह कर्तव्य है कि वह जाँच करके पंजीकृत व्यक्तियों को एक फोटो युक्त जॉब कार्ड जारी करे।

रोजगार के लिये कहाँ और कैसे आवेदन करें :- काम के लिये आवेदन लिखित रूप में अपनी ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को देना होगा। आवेदन कम से कम 14 दिन के लगातार काम के लिए होना चाहिए। आवेदक को आवेदन देने के 15 दिनों के अंदर रोजगार प्रदान किया जाएगा।

आपको कैसे जानकारी मिलेगी कि आपको रोजगार प्रदान किया गया है -

- ग्राम पंचायत पत्र द्वारा सूचना देकर आवेदक को यह बतायेगी कि काम के लिये कहां और कब आना है।
- ऐसी जानकारी ग्राम पंचायत के सूचना पट तथा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय पर भी लगाई जाएगी।

महिलाओं को रोजगार में प्राथमिकता :- महिलाओं को रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता दी जायेगी ताकि रोजगार पाने वालों में कम से कम एक तिहाई संख्या महिलाओं की हो।

मजदूरी :- मजदूरी 60 रुपये प्रतिदिन की दर से कम नहीं हो सकती है। दैनिक मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक हो सकता है, परन्तु भुगतान काम करने के 15 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। मजदूरी का भुगतान नकद या उसके बदले किसी वस्तु के रूप में किया जा सकता है, किन्तु एक चौथाई वेतन का भुगतान नगद ही होना चाहिए।

बेरोजगारी भत्ता :- यदि किसी चयनित व्यक्ति को आवेदन पत्र जमा करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है, तो वह बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा। जो कि कम से कम 30 दिनों के लिये निर्धारित मजदूरी का एक चौथाई और बाकी समय के लिए मजदूरी का आधा होगा।

- कार्य आवेदक के निवास स्थान के 5 किलोमीटर के भीतर प्रदान किया जाएगा। यदि काम ऐसे स्थान के भीतर नहीं दिया जाता है तो ब्लाक में दिया जाएगा और मजदूर को आने जाने के खर्च को पूरा करने के लिऐ अतिरिक्त मजदूरी के रूप में मजदूरी का 10 प्रतिशत दिया जायेगा।
- काम के दौरान दुर्घटना में शारीरिक क्षति होने पर मुफ्त इलाज कराया जाएगा। अगर किसी मजदूर की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है या स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो मजदूर को 25,000 रुपये या ऐसी रकम जो केन्द्र सरकार अधिसूचित करे दी जाएगी। अगर काम के दौरान किसी मजदूर को चोट आ जाए तो उसका मुफ्त इलाज कराया जाएगा।

मजदूरों के लिये विशेष सुविधायें :- काम की जगह पर पीने का स्वच्छ पानी, बच्चों के लिए तथा विश्राम की अवधि के लिये शेड्स और प्राथमिक चिकित्सा/उपचार पेटी उपलब्ध कराई जाएगी। अगर काम करने वाली महिलाओं के साथ 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या पांच या उससे ज्यादा है तो ऐसी महिलाओं में से किसी एक महिला को बच्चों की देखभाल करने के लिए रखा जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य कराये जाएंगे :-

जल संरक्षण एवं जल संग्रहण, सूखा निवारण, वन रोपण और वृक्ष रोपण, तालाबों से गाद निकालना, मध्यम एवं लघु सिंचाई कार्य, बारहमासी सड़क सम्पर्क, आदि।

5. म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की योजनायें एवं कार्यक्रम

1. **परिवार कल्याण कार्यक्रम :-** इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना है। इस कार्यक्रम में स्थायी तरीके के रूप में नसबंदी तथा अस्थायी तरीके के रूप में कॉपर टी, निरोध एवं ओरल पिल्स (खाने की गोली) के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। सभी योग्य दम्पत्ति समीपस्थ शासकीय चिकित्सालयों में जाकर निःशुल्क सेवायें एवं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

2. **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम :-** इस कार्यक्रम का उद्देश्य एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम एवं जनसामान्य को इस बीमारी से बचाव की जानकारी देना है। प्रदेश में एच.आई.वी./ एड्स की रोकथाम एवं जनसामान्य को इस बीमारी से बचाव की जानकारी देने के लिए ''मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति'' का गठन किया गया है। यह समिति लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से तथा अशासकीय संगठनों के सहयोग से जागरुकता अभियान चलाकर एच.आई.वी. एड्स के संबंध में जानकारी देती है।

3. **दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना :-** इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों को शासकीय चिकित्सालयों में भर्ती होने पर निःशुल्क जाँच एवं उपचार की पात्रता होती है। परिवार में पति पत्नी, अवयस्क बच्चे, आश्रित माता-पिता एवं आश्रित विधवा या परित्यक्तता पुत्री शामिल हैं।

   - पात्र परिवार को एक परिवार स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाता है जिसमें परिवार के मुखिया का फोटोग्राफ तथा परिवार के सदस्यों का विवरण अंकित होता है। यह कार्ड जिला मुख्यालय में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्रों पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदाय किया जाता है।
   - दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की सेवायें सभी शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में जहां भर्ती होने की सुविधा है, में दी जाती हैं। आवश्यकतानुसार रोगी को उच्च चिकित्सा हेतु प्रदेश की ऐसी संस्था में उपचार हेतु भेजा जाता है जहां भर्ती की सुविधा है।
   - प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में रुपये 20 हजार की सीमा तक जाँच एवं उपचार की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी।

4. **जिला/राज्य बीमारी सहायता निधि** :- इसके अन्तर्गत मध्यप्रदेश के निवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब व्यक्ति को घातक एवं जान लेवा बीमारी होने पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सेवा (रु. 25000 से 1,50,000 तक) उपलब्ध कराई जाती है।

पात्र हितग्राही जो मध्यप्रदेश के निवासी एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति गंभीर बीमारियों जैसे वक्ष शल्य क्रिया, गुर्दा प्रत्यारोपण, कूल्हे या घुटने का बदला जाना, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, रेटिनल डिटेचमेंट, हृदय शल्य क्रिया, न्यूरो सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, सभी कैंसर सर्जरी कीमोथेरेपी एवं रेडियोथेरेपी, सिर की चोट जिसमें ऑपरेशन की आवश्यकता हो एवं प्रसूति उपरान्त जटिलताओं के उपचार हेतु चिकित्सा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

यह चिकित्सा सुविधा शासकीय अस्पताल अथवा शासन द्वारा निर्धारित अस्पतालों में प्राप्त की जा सकती है। सहायता राशि का चैक अस्पताल को ही देय होगा। इस योजना का लाभ एक व्यक्ति को एक बार ही मिलेगा।

5. **जननी सुरक्षा योजना** :- इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से जीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

ऐसी गर्भवती महिलाओं को लाभ प्राप्त करने की पात्रता है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हैं। हितग्राही महिला को शासकीय अस्पताल में प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये की राशि दी जाती है। यह राशि महिला को अस्पताल में तीन दिन भर्ती रहने के बाद दी जाती है। जिससे प्रसव उपरान्त पूरी देखभाल तथा उसके बच्चे को भी देखभाल व टीकाकरण की सेवायें प्राप्त हो सकें। गर्भवती महिला को शासकीय अस्पताल तक पहुंचाने वाली प्रेरक महिला को ग्रामीण क्षेत्र में 600 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 200 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यदि प्रेरक महिला गर्भवती महिला के लिये जननी एक्सप्रेस योजना अन्तर्गत वाहन सुविधा का उपयोग करती है तो वाहन शुल्क रुपये 250 काटकर शेष राशि रुपये 350 का भुगतान किया जायेगा।

जननी सुरक्षा योजना प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों, जिला चिकित्सालयों तथा अन्य सभी चिन्हांकित शासकीय अस्पतालों में, जहां 24 घंटे प्रसव सुविधायें उपलब्ध हैं, लागू की गई हैं।

6. **स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम** :-

इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों का वर्ष में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण करना तथा

परीक्षण के दौरान गंभीर रोग से ग्रसित विद्यार्थी की पहचान कर उपचार हेतु रिफर करना ताकि सही समय पर उसका उपचार हो सके।

स्कूली बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा देना ताकि स्वास्थ्य संदेश बच्चों में जागरूकता लाते हुये समाज तक पहुंच सके।

प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों का शाला में चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया जाता है। गंभीर बीमारियों से ग्रसित बच्चों को रिफर कर उनके माता-पिता को अवगत कराया जाता है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए जिला एवं विकासखंड स्तरीय समितियां गठित की गई हैं।

म.प्र. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित उपरोक्त योजना क्रमांक 1 से 6 तक का लाभ प्राप्त करने के लिये समीपस्थ शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला चिकित्सालय से संपर्क करें।

---

6. म.प्र. शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास की कल्याणकारी योजनायें -

राज्य शासन की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ावर्ग के कल्याण एवं विकास के लिए शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण एवं सामाजिक/ आर्थिक विकास से सबंधित योजनायें निम्नानुसार हैं :-

1. **राज्य छात्रवृत्ति :-** अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ावर्ग के कक्षा दसवीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति निम्न दर से स्वीकृत की जाती है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति :-

	माध्यमिक स्तर	हाई स्कूल स्तर
छात्र	200/-	600/-
छात्रा	300/-	800/-

पिछड़ा वर्ग :-

छात्र	200/-	300/-
छात्रा	300/-	400/-

पात्रता :- इस योजना का लाभ निम्न छात्र-छात्रायें प्राप्त कर सकते हैं :-

- ऐसे छात्र-छात्रायें जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के हों।
- पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के पालक/माता-पिता आयकर दाता न हों।

- अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जिनके पालक/माता-पिता के पास कृषि व्यवसाय हेतु 10 एकड़ से कम भूमि हो।

2. **पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति :-** यह छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं से लेकर उच्च शिक्षा तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निम्नानुसार प्रदान की जाती है :-

- अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्रायें जिनके पालक की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है, उन्हें पूरी छात्रवृत्ति देकर एवं शुल्क मुक्त किया गया है।
- जिनके पालक की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से 1 लाख 20 हजार तक है, उन्हें पूरे शुल्क की छूट दी जाती है।
- जिनके पालक की वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार रुपये से 1 लाख 80 हजार रुपये तक है उनहें आधी शुल्क की छूट दी जाती है। 1 लाख 80 हजार से अधिक आय वालों के लिये छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं है।
- कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं के छात्र/छात्रायें जिन्हें विभागीय छात्रावासों में प्रवेश दिया जाता है उन छात्रों को 265 रुपये एवं छात्राओं को 290 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त छात्रवृत्तियां विद्यालय/महाविद्यालयों के माध्यम से शासन द्वारा प्रदान की जाती हैं।

3. **अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति :-** अस्वच्छ धंधे से तात्पर्य जैसे मृत पशु का चमड़ा निकालना, चमड़ा पकाना, शौचालयों की सफाई आदि का कार्य करना है।

उद्देश्य :- अस्वच्छ धंधे में लगे परिवारों के बच्चों को शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करना और आर्थिक सहायता पहुँचाना।

- इस योजना के तहत विद्यालयों में अध्ययन कक्षा 1 से 10 वीं तक के बच्चों को छात्रवृत्ति तथा गणवेश के लिये रुपये 600/- प्रति छात्र/छात्रा के मान से अनुदान दिया जाता है।

पात्रता :- ऐसे लोग जो अस्वच्छ धंधों में कार्यरत हैं और जिन्हें राजस्व अधिकारी द्वारा अस्वच्छ धंधा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त है, पात्र हैं। इस योजना में आय सीमा का कोई बंधन नहीं है।

4. **कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना :-**

उद्देश्य :- अनुसूचित जाति की कन्याओं को निरन्तर शिक्षा जारी करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं उनकी आर्थिक सहायता करना है।

स्वरूप :- अनुसूचित जाति की ऐसी कन्यायें जो अध्ययन हेतु कक्षा 6वीं, 9वीं एवं 11वीं में प्रवेश लेती हैं, उन्हें प्रवेश लेने पर क्रमशः रुपये 500/-, 1000/- एवं 3000/- रुपये वर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह राशि छात्रवृत्ति के अतिरिक्त देय होती है।

पात्रता :- इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति की ऐसी छात्रायें जो शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान में कक्षा 6वीं, 9 वीं एवं 11 वीं में नियमित रूप से अध्ययन करती हैं। कक्षा 9 वीं में अध्ययनरत ऐसी छात्रायें जिन्हें निःशुल्क सायकिल प्रदाय के लाभ की पात्रता है, उन्हें प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं होगी।

5. **आश्रम/छात्रावास सुविधा :-** आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिये विभाग द्वारा प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। ऐसे छात्रावासों में रहकर छात्र-छात्रायें अध्ययन करते हैं।

प्री-मैट्रिक छात्रावास में कक्षा 6वीं से 10 वीं तक की छात्र/छात्राओं को क्रमशः प्रतिमाह रुपये 500/- एवं रुपये 525/- 10 माह के लिये शिष्य वृत्ति प्रदाय की जाती है। उक्त राशि उनके भोजन आदि पर व्यय की जाती है। इन छात्र/छात्राओं को निःशुल्क आवास व्यवस्था एवं अन्य सामग्री जैसे पलंग, बिस्तर आदि उपलब्ध कराये जाते हैं।

इसी प्रकार कक्षा 11 वीं से उच्च कक्षाओं के छात्र/छात्राओं के लिये निःशुल्क रहने की व्यवस्था एवं छात्रावासी दर से छात्रवृत्ति की पात्रता रहती है।

प्रत्येक छात्रावास में फर्नीचर, पानी, बिजली, रसोई आदि एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवायें उपलब्ध कराई जाती हैं।

6. **छात्र-गृह योजना :-** यह योजना महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के लिये लागू है जिन्हें छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कम से कम 5 छात्र मकान किराये से लेकर निवास करते हों उन्हें मकान का किराया, बिजली आदि का व्यय विभाग द्वारा किया जाता है।

7. **निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय :-** इस योजनान्तर्गत साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से कक्षा 1से 8 तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

8. **बुक बैंक योजना** :- व्यवसायिक एवं तकनीकी महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को विभाग द्वारा संबंधित संस्था के माध्यम से पुस्तकों के सेट उपलब्ध कराये जाते हैं।

9. **अनुसूचित जाति राहत योजना** :- इस योजना के अंतर्गत असहाय संकटापन्न अनुसूचित जाति के बीमार, निराश्रित एवं विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है, जिसके अनुसार, अनुसूचित जाति के ऐसे लोग जो अपनी निर्धनता और असहाय अवस्था के कारण संकटापन्न स्थिति में हों और जिन्हें शासन की अन्य योजनाओं से सहायता मिलने की संभावना न हो उन्हें तुरन्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के अपाहिज, दृष्टिहीन, निराश्रित व्यक्ति तथा ऐसे परिवार जिसकी देखभाल करने वाला कोई न हो अथवा ऐसा परिवार जिसके मुखिया का निधन हो गया हो और परिवार के भरण पोषण की कोई तत्काल नहीं हो पा रही हो, तब ऐसे व्यक्ति/परिवार को जिला कलेक्टर द्वारा 1000/- रुपये तक आर्थिक सहायता दी जाती है।

  इसके लिये जरुरतमंद व्यक्ति कलेक्टर/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक /मण्डल संयोजक/आदिम जाति कल्याण विभाग को आवेदन दे सकते हैं।

10. **अशासकीय शालाओं को अनुदान** :- इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास की दिशा में कार्यरत अशासकीय संस्थाओं को सहायता अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान अशासकीय पंजीकृत संस्थाओं को दिया जाता है।

11. **अनुसूचित जाति की बालिकाओं को गणवेश एवं सायकिल प्रदाय योजना**:- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति की अध्ययनरत छात्राओं को शासन द्वारा निःशुल्क गणवेश एवं सायकिल प्रदाय की जाती है।

यह लाभ ऐसी छात्राओं को जो कक्षा 1 से 5 तक चयनित विकास खंडों में शासकीय एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक शालाओं में अध्ययन कर रही हों एवं जिन्हें इसी उद्देश्य के लिये कहीं से भी सहायता नहीं मिलती हो उन्हें निःशुल्क गणवेश प्रदाय किया जाता है। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों की पुत्रियों को निःशुल्क गणवेश की पात्रता नहीं है।

अनुसूचित कन्या साक्षरता प्रोत्साहन के उद्देश्य से कक्षा 9वीं की अध्ययनरत बालिकाओं को निःशुल्क सायकिल प्रदान की जाती है। ऐसी छात्रायें जो स्वयं के ग्राम में शासकीय शाला न होने की स्थिति में अन्य ग्राम की शासकीय शाला में अध्ययन हेतु प्रवेश लेती हैं उन्हें निःशुल्क सायकिल प्राप्त करने की पात्रता होती है। सायकिल प्राप्त करने के बाद यदि कोई बालिका शाला छोड़ देती है तो प्रदाय की गई सायकिल वापिस ले ली जाती है।

12. **अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना** :- अस्पृश्यता निवारण के लिए अन्तर्जातीय विवाह योजना लागू की गई है। इस योजना का मूल उद्देश्य अस्पृश्यता का उन्मूलन है। सवर्ण युवक अथवा युवती द्वारा अनुसूचित जाति की युवती अथवा युवक विवाह करने पर ऐसे दम्पत्तियों को पुरुस्कृत एवं सम्मानित किया जाता है, पुरस्कार में 50,000 रुपये नगद राशि एवं प्रमाण पत्र दिया जाता है।

13. **सौभाग्यवती योजना** :- अनुसूचित जाति के ऐसे माता-पिता/अभिभावक जिनकी कन्या विवाह योग्य हो तथा वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हों, को 5,000 रुपये सहायता राशि प्रदान की जाती है।

पात्रता :-

- कन्या के माता-पिता म.प्र. के मूल निवासी हों तथा अनुसूचित जाति के हों,
- कन्या के माता-पिता गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करते हों,
- कन्या की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष हो,
- एक ही परिवार की अधिकतम 2 कन्याओं के विवाह हेतु राशि स्वीकृत की जावेगी,
- अनुसूचित जाति की परित्यक्तता एवं विधवा महिलायें भी योजना का लाभ ले सकती हैं।

14. **मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम, 1995**

उद्देश्य :- मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम 1995 का उद्देश्य ऐसे जरुरतमंद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति परिवारों को तुरंत सहायता व राहत पहुंचाना है, जो सवर्णवर्ग के किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा उत्पीड़ित हैं एवं जो अपनी निर्धनता एवं असहाय अवस्था के कारण संकटापन्न स्थिति में हैं और जिन्हें तत्संबंधी जरुरत पूरी करने के लिये शासन की किसी योजना से अथवा अन्य किसी स्त्रोत से तुरंत आर्थिक सहायता मिलने की संभावना न हो।

पात्रता :-

- गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न के कारण शारीरिक या संपत्ति अथवा दोनों प्रकार की हानि उठाने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्ति अथवा अनुसूचित जाति / जनजाति परिवार,

- गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति /परिवार,
- जिसके विरुद्ध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (1) या 3 (2) के अंतर्गत उत्पीड़न किया हो,
- यदि बलात्कार के परिणामस्वरूप महिला की मृत्यु हो जाये तो उस महिला के पति अथवा उत्तराधिकारी,
- गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति द्वारा रोजगार से संबंधित उपरकण औजार मशीनरी आदि नष्ट की गई हो।

अत्याचार/उत्पीड़न की सूचना -

शारीरिक, सांपत्तिक एवं सामाजिक रूप से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के साथ उत्पीड़न व अत्याचार की सूचना थाने में पंजीबद्ध होना आवश्यक है। थाने में सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक, जिला दण्डाधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी को भेजने के साथ सहायक आयुक्त आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को देंगे।

राहत एवं सहायता :-

क्र.	अपराध का प्रकार	राहत
1.	हत्या/मृत्यु	
	(क) परिवार का न कमाने वाला सदस्य	रुपये 1,00,000 नियमानुसार
	(ख) परिवार का कमाने वाला सदस्य	रुपये 2,00,000 नियमानुसार
2.	(क) बलात्कार	रुपये 50,000 नियमानुसार
	(ख) बलात्कार के कारण मृत्यु	रुपये 1,00,000 नियमानुसार
3.	निर्योग्यता एवं अक्षमता :	
	(क) 100% असमर्थता	
	(1) परिवार का न कमाने वाला सदस्य	रुपये 1,00,000 नियमानुसार
	(2) परिवार का कमाने वाला सदस्य	रुपये 2,00,000 नियमानुसार

	(ख) 100% से कम असमर्थता	
	(1) परिवार का न कमाने वाला सदस्य	रुपये 15,000 से कम नहीं नियमानुसार
	(2) परिवार का कमाने वाला सदस्य	रुपये 30,000 से कम नहीं होगा।
4.	अपमान/अभित्रास	रुपये 25,000 तक नियमानुसार
5.	बेगार या बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी	रुपये 25,000 तक नियमानुसार
6.	रास्ता रोकना (मार्ग के रुढ़ि जन्म के अधिकार से वंचित होना)	रुपये 1,00,000 तक या मार्ग अधिकार को पुनः बहाल करने की पूरी लागत नियमत
7.	पानी गंदा करना	रुपये 1,00,000/- तक पानी साफ करने सहित सामान्य सुविधा बहाली नियमानुसार
8.	किसी को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना	रुपये स्थल बहाल करना, 25,000/- रुपये प्रतिकर तथा सरकार के खर्च पर मकान का पुनर्निर्माण (यदि नष्ट हुआ हो तो)
9.	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ का खाना	प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरूप गंभीरता को देखते हुए 25,000/- या उससे अधिक और पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर, अपमान, क्षति तथा मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा।
10.	क्षति पहुंचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध करना	दिये जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा- 1. 25 प्रतिशत जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए। 2. 75 प्रतिशत तब जब निचले न्यायालयों द्वारा दोष सिद्ध ठहराया जाए।
11.	अनादर सूचक कार्य	----तदैव----
12.	मतदान के अधिकार के संबंध में	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 20,000/- जो अपराध के स्वरूप और गंभीरता पर निर्भर है।

13.	मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही तथा तुच्छ जानकारी हो।	रुपये 25,000 या वास्तविक विधिक व्यय और क्षति की प्रतिपूर्ति या अभियुक्त के विचारण की समाप्ति के बाद, जो भी कम
14.	मिथ्या साक्ष्य देना	कम से कम 1,00,000 - रुपये या उठाये गये नुकसान या हानि का पूरा प्रतिकार।
15.	भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध करना	अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुये प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रित को कम से कम 50,000/- रुपये।
16.	लोक सेवा के हाथों उत्पादन	उठाई गई हानि या नुकसान का पूरा प्रतिकर।
17.	रोजगार से संबंधित साधन/औजार/मशीन तथा बैलगाड़ी/इंजन नाव आदि नष्ट किया जाना।	शासकीय व्यय पर हो नई मशीन/औजार/साधन उपलब्ध कराया जायेगा। यदि टूटफूट हुई है तो शासन व्यय पर मरम्मत कराई जाएगी।
18.	स्व-श्रेणी के प्रकरण :	
	(क) ऐसी साधनहीन कन्या जिनके माता-पिता न हों तथा जिनका पालन पोषण उसके रिश्तेदार कर रहे हों, विवाह के लिये	रुपये 2000/-
	(ख) ऐसी कन्या जिसके परिवार की मासिक आय 200/- से अधिक न हो।	रुपये 1000/-

उक्त योजना क्रमांक 1 से 11 तक का लाभ प्राप्त करने हेतु हितग्राही जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग से अथवा संबंधित शाला के प्राचार्य से सम्पर्क कर सकते हैं एवं योजना क्रमांक 12 एवं 14 का लाभ प्राप्त करने हेतु हितग्राही अपने जिले के जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, मण्डल संयोजक अनुसूचित जाति विकास से सम्पर्क कर सकते हैं।

7. म.प्र. शासन वन विभाग की योजनायें :-

1. वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि होने पर क्षतिपूर्ति :- वन्य जीवों (शेर/तेन्दुआ/भालु/लकड़बग्घा/घड़ियाल/भेड़िया/जंगली सुअर/गौर/जंगली हाथी/जंगली कुत्ता/मगरमच्छ/ जंगली भैंसा / सिंह और सियार) द्वारा किसी व्यक्ति पर हमला होने पर सहायता प्रभावित घायल या मृत व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि सक्षम शासकीय चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर

1.	मृत्यु होने पर	-	50 हजार रुपये तथा ईलाज पर हुआ व्यय
2.	घायल होने पर	-	10,000 रुपये
3.	स्थायी रूप से अपंग होने पर	-	37,500 रु. एवं ईलाज पर हुआ व्यय
●	घायल होने पर तात्कालिक सहायता परिवारजनों को (राशि कुल क्षतिपूर्ति में समायोजित की जावेगी)	-	500/- रुपये

- मृत्यु होने पर तात्कालिक सहायता की जावेगी
- सादे आवेदन में घटना की लिखित जानकारी तत्काल समीपस्थ वन अधिकारी को देना अनिवार्य है। दावाकर्ता द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कराना आवश्यक है।

2. वन्य प्राणियों द्वारा निजी मवेशी/पशुओं को मारे जाने पर सहायता :- वन्य प्राणियों (बाघ/तेंदुए/जंगली कुत्ते या जंगली हाथी) द्वारा घरेलू निजी पशुओं को मारे जाने पर पशु मालिकों को प्रति मवेशी 5000/- रुपये सहायता राशि दी जाती है।

निजी पशु मारे जाने पर सूचना समीप के वन अधिकारी को घटना के 48 घण्टे के अंदर दी जानी चाहिए तथा उसकी प्राप्ति/स्वीकृति लेना चाहिए। मारे गये मवेशी/पशु को मारे गये स्थान से नहीं हटाया गया तो उसके शरीर पर किसी प्रकार का लेप नहीं किया गया हो या उसके घाव पर विष न भर दिया गया हो।

मवेशी के मारे जाने की घटना का सत्यापन, वन विभाग के अधिकारी, जो कम से कम वन परिक्षेत्राधिकारी के पद का हो, द्वारा किया गया हो। साथ ही यह भी प्रमाणित किया गया हो कि मवेशी शेर, तेंदुए, जंगली कुत्ते, जंगली हाथी द्वारा मारा गया है।

8. म.प्र. शासन राजस्व विभाग की योजनायें :-

1. **सड़क दुर्घटना:-** ज्ञात वाहन से मृत्यु/घायल होने पर पीड़ित परिवार को 5000/- आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।

2. **राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी. 6-4) के अंतर्गत** :- प्राकृतिक प्रकोपो से हुई फसल क्षति मकान क्षति, जनहानि, पशुहानि एवं अन्य क्षतियों के लिये आर्थिक सहायता।

फसल हानि के लिये आर्थिक सहायता - (प्रति हेक्टेयर में)

(1) लघु एवं सीमांत कृषक - (0 से 2 हेक्टेयर भूमि धारित किसान)

वर्षा आधारित फसल के लिये	2000 रु.	3000 रु.
सिंचित फसल के लिये	3500 रु.	7500 रु.
बारामाही फसल (6 माह से कम की)	5000 रु.	7500 रु.
बारामाही फसल (6 माह से अधिक की)	7500 रु.	10000 रु.

(2) लघु एवं सीमांत कृषक से भिन्न कृषक - (2 हेक्टेयर से अधिक भूमि धारित किसान)

वर्षा आधारित फसल के लिये	1500 रु.	2500 रु.
सिंचित फसल के लिये	2500 रु.	5000 रु.
बारामाही फसल (6 माह से कम की)	3500 रु.	5000 रु.
बारामाही फसल (6 माह से अधिक की)	5000 रु.	7000 रु.

- **फलदार पेड़ उन पर लगी फसलें आदि की हानि के लिये आर्थिक अनुदान :-**

1.	फलदार पेड़ या उन पर लगी फसलें प्रति पेड़	200 रु.	300 रु.
2.	संतरा, नीबू के बगीचे, पपीता, केला अंगूर, अनार आदि की फसलें (प्रति हेक्टेयर)	4000 रु.	6000 रु.
3.	पान बरेजे आदि (प्रति हेक्टेयर)	12000 रु.	20000 रु.
	या (प्रति पारी)	300 रु.	500 रु.

- **पशु/पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि के लिये आर्थिक सहायता :-**

1. पशु हानि के लिये :- (प्रति पशु)

गाय/बैल/भैंस/घोड़ा/ऊंट	10000 रु.
बकरी/भेड़	1000 रु.
गधा	5000 रु.
सुअर	1500 रु.
बच्चा- भैंस, घोड़ा, गाय, ऊँट	5000 रु.
बच्चा- भेड़, बकरी, सुअर, गधा	250 रु.

2. पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) :- (प्रति पक्षी)

मुर्गी/मुर्गा (10 सप्ताह से अधिक आयु के)	40 रु.
चूजा (4 से 10 सप्ताह तक की आयु के)	20 रु.

- **नष्ट हुए मकान के लिये आर्थिक सहायता :-** (वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर)

1. पूर्ण नष्ट (मरम्मत योग्य नहीं)

पक्का मकान	25000 रु.
कच्चा मकान	20000 रु.
झुग्गी/झोपड़ी (विधिसंगत निर्माण)	6000 रु.

2. गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त (क्षति 50 प्रतिशत से अधिक हो)

पक्का मकान	5000 रु.
कच्चा मकान	3000 रु.
झुग्गी/झोपड़ी (विधिसंगत निर्माण)	2000 रु.

3. आंशिक क्षतिग्रस्त (क्षति 15 से 50 प्रतिशत हो)

पक्का मकान	2500 रु.
कच्चा मकान	1500 रु.
झुग्गी/झोपड़ी (विधि संगत निर्माण)	1000 रु.

- **कपड़ों, बर्तनों एवं खाद्यान्न की क्षति के लिये आर्थिक सहायता :-**

  1. प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण मकान नष्ट हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा घरों में पानी घुस जाने से पीड़ित परिवार के कपड़े एवं खाद्यान्न गीले होकर क्षतिग्रस्त हो जाने पर दैनिक उपयोग के कपड़ों एवं बर्तनों की हानि के लिये प्रभावित परिवार को प्रति परिवार 2000 रु. आर्थिक अनुदान सहायता दी जावेगी।
  2. प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण मकान नष्ट हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा घरों में पानी घुस जाने से पीड़ित परिवार के कपड़े एवं खाद्यान्न गीले होकर क्षतिग्रस्त हो जाने पर प्रभावित परिवार को प्रति परिवार 50 किलोग्राम खाद्यान्न (गेहूं/चावल) एवं 5 लीटर केरोसीन तात्कालिक सहायता के रूप में दिया जावेगा। यह सहायता एक आपदा के प्रभावित परिवार को केवल एक बार ही दी जायेगी।

- **मृत व्यक्ति के परिवार/निकटतम वारिस को आर्थिक सहायता :-**

  1. नैसर्गिक विपत्तियों (तूफान, भूकंप, बाढ़, ओलावृष्टि, भूस्खलन, आकाशीय बिजली गिरने, आग) के कारण मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्त/ वारिस को 1,00,000 रु. सहायता।
  2. सर्प गुहेरा या जहरीले जन्तु के काटने से अथवा नाव दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर अथवा बस या अधिकृत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी या जलाशय में गिरने या पहाड़ी आदि से खड्ड में गिरने के कारण वाहन पर सवार व्यक्ति के मृत्यु होने पर 50,000 रु. सहायता।

- **शारीरिक अंग हानि के लिये आर्थिक सहायता :-**

  1. नैसार्गिक विपत्तियों (तूफान, भूकंप, बाढ़, ओलावृष्टि, भूस्खलन, आकाशीय बिजली गिरने, आग) के कारण महत्वपूर्ण अंग की हानि (हाथ, पैर या दोनों आंखों की हानि) हुई है तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित किये जाने पर 40 से 75 प्रतिशत विकलांगता होने पर 35000/- रु. और 75 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होने पर 5000/- रु. सहायता।
  2. नाव दुर्घटना से घायल हो जाने पर अथवा, बस या अधिकृत अन्य पब्कि ट्रांसपोर्ट के नदी या जलाशय में गिरने या पहाड़ी आदि से खड्ड में गिरने के कारण वाहन पर सवार व्यक्ति के महत्वपूर्ण अंग की हानि (हाथ, पैर या दोनों आंखों की हानि) हुई है तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति को 25,000 रु. सहायता।
  3. गंभीर शारीरिक क्षति जिसमें व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहे :- नैसार्गिक विपत्तियों (तूफान, भूकंप, बाढ़, ओलावृष्टि, भूस्खलन, आकाशीय बिजली गिरने, आग)

के कारण अथवा नाव दुर्घटना से घायल हो जाने पर अथवा बस या अधिकृत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी या जलाशय में गिरने या पहाड़ी आदि से खड्ड में गिरने के कारण वाहन पर सवार व्यक्ति के महत्वपूर्ण अंग की हानि हुई यथा हाथ, पैर फेक्चर जैसी गंभीर शारीरिक क्षति होने पर 7500 रु. आर्थिक सहायता।

- **लावारिस शव के अंतिम संस्कार के लिये सहायता :-**

नैसर्गिक विपत्तियों के कारण हुई जनहानि के ऐसे मामलों में लावारिस शव प्राप्त होने पर ऐसे लावारिस शवों का अंतिम संस्कार हेतु स्थानीय निकाय (ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम) को 2000 रु. सहायता।

- **मृत पशुओं के निवर्तन की व्यवस्था :-**

नैसर्गिक विपत्तियों के कारण हुई पशु हानि के मामलों में मृत पशुओं का त्वरित निवर्तन करने के लिये 100 रु. प्रति पशु।

- **कुम्हार के भट्टे में ईंट तथा खपरे बरबाद होने पर आर्थिक नुकसान सहायता :-**

कुम्हारों के भट्टे में ईंट तथा खपरों के अलावा अन्य मिट्टी के बर्तन बर्बाद होने पर हानि के मूल्यांकन के आधार पर 3000 रु. तक सहायता उपलब्ध कराई जावेगी।

- **अग्नि या बाढ़ से प्रभावित दुकानदारों को सहायता :-**

ऐसे छोटे दुकानदारों को, जिनकी दुकानें अग्नि दुर्घटना में या अतिवर्षा/बाढ़ के कारण नष्ट हो जाती है और दुकानों का बीमा नहीं तो-

6000/- तक प्रति दुकानदार आर्थिक अनुदान सहायता।

25000/- तक ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा।

- **बाढ़ व तूफान से प्रभावित मछुआरों को दी जाने वाली सहायता :-**

नाव नष्ट होने पर - 12000 रु.

जाल या डोंगी नष्ट होने पर - 4000 रु.

जाल या अन्य उपकरणों की मरम्मत के लिये - 2000 रु.

- **कुएं या नलकूप के नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता :-**

प्राकृतिक प्रकोप से प्रायवेट (निजी) कुआं या नलकूप आदि टूट-फूट या धंस जाने पर अधिकतम 6000 रु. आर्थिक सहायता।

- **बैलगाड़ी या अन्य कृषि उपकरण नष्ट होने पर आर्थिक सहायता :-**

आग अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा से कृषक की बैलगाड़ी अथवा अन्य कृषि उपकरण नष्ट हो जाने पर वास्तविक आंकलन के आधार पर अधिकतम 4000 रु. अनुदान सहायता।

- **बुनकरों / हस्त शिल्पियों को दी जाने वाली सहायता :-**

नैसर्गिक आपदा से प्रभावित बुनकर/परम्परागत शिल्प के क्षेत्र में काम करने वाले हस्त शिल्पी को उनके उपकरण/औजार क्षतिग्रस्त होने पर 2000/- एवं उनके द्वारा तैयार माल अथवा कच्चे माल के क्षतिग्रस्त होने पर कच्चे माल या धागा और अन्य तत्संबंधी रंग, रसायन आदि क्रय करने के लिये प्रति बुनकर/शिल्पी अधिकतम 2000/- सहायता।

- **प्रभावित मछुआरों को दी जाने वाली सहायता :-**

नैसर्गिक आपदा यथा अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप आदि से मछली फार्म क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत के लिये प्रभावित को 6000/- तक प्रति हेक्टेयर के मान से सहायता।

मछली बीज नष्ट हो जाने पर प्रभावित को 4000/- तक प्रति हेक्टेयर के मान से सहायता दी जावेगी।

पीड़ित व्यक्ति अपने क्षेत्र के नायब तहसीलदार/तहसीलदार **या** अनुविभागीय **अधिकारी या जिले के कलेक्टर से सम्पर्क कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।**

---

9. म.प्र. शासन खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की योजना

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना :- इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले नीले राशनकार्डधारी व्यक्ति या परिवार को न्यूनतम दर पर राशन प्रदाय किया जाता है। इस योजना का शुभारंभ प्रदेश में 1 मई 2008 को हुआ। इसके अन्तर्गत नीले राशनकार्ड धारी को 3 रुपये प्रति किलो गेहूं एवं 4 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की दर से 14 किलो गेहूं एवं 6 किलो चॉवल (कुल 20 किलो खाद्यान्न) उचित मूल्य की राशन दुकानों से प्रदाय किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र के हितग्राही नगरीय निकाय या कलेक्ट्रेट से सम्पर्क कर अपना कार्ड बनवा सकते हैं।

---

10. विद्युत विभाग

बिजली उपभोक्ताओं के हित में चल रही योजनायें :-

1. **पायलट योजना (निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना)** :- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्ग के हितग्राहियों के लिये निःशुल्क विद्युत प्रदाय।

- **पात्र हितग्राही** :- इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एकलबत्ती उपभोक्ताओं को 25 यूनिट प्रतिमाह तथा एक हेक्टेयर तक भूमि वाले 5 हार्स पॉवर तक के अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के कृषि उपभोक्ता पात्र होंगे।

- **चयन प्रक्रिया** :- हितग्राहियों को एक सादे कागज पर आवेदन के साथ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने संबंधित सूची में उल्लेखित क्रमांक व अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है।

2. **कृषकों के लिये साल में दो बार बिलों की राशि के अग्रिम भुगतान की सुविधा** :- माह अप्रेल 2008 से कृषि सिंचाई पम्प उपभोक्ता साल में दो बार छः माह के बिलों की राशि का अग्रिम भुगतान कर सकते हैं। अग्रिम भुगतान की राशि पर 6% की छूट दी जावेगी इस प्रकार साल में दो बार राशि जमा करने पर कृषि पम्प उपभोक्ताओं को कुल 12% छूट का लाभ प्राप्त होगा।

3. **कृषक विद्युत राहत योजना** :- किसानों के हक में मध्य प्रदेश सरकार की नई पहल कृषक विद्युत राहत योजना चालू की गई है, इसमें किसानों पर पम्प की बकाया राशि एक किश्त में भुगतान करने पर बिजली की 50% ऊर्जा प्रभार राशि एवं 100% सरचार्ज राशि माफ किया जा रहा है। इस योजना में दो विकल्प रखे गये हैं जिनका लाभ कृषक उठा सकते हैं, जो निम्नानुसार हैं :-

विकल्प एक : - एक मुश्त भुगतान करने पर मिलने वाली छूट का लाभ दिया जाता है।

1. बिजली बिल की मूल बकाया राशि में ऊर्जा प्रभार का 50% बकाया राशि उपभोक्ता द्वारा जमा करने पर 50% राशि शासन द्वारा दी जावेगी एवं सरचार्ज की राशि कंपनी द्वारा वहन की जावेगी।
2. जमा की गई राशि पर 10% का अतिरिक्त लाभ दिया जावेगा।
3. भुगतान कर योजना में सम्मिलित होने की अंतिम तिथि 31 मई 2008 है।

विकल्प दो :- किश्तों में भुगतान-

1. बिजली बिल की मूल कुल बकाया राशि का आधा भुगतान 4 या 6 समान किश्तों में कीजिये।
2. पहली किश्त का भुगतान 31 मई 2008 तक कर योजना में शामिल हो सकते हैं।
3. 31 मई 2008 तक दो किश्तों का एकसाथ भुगतान करके 5% छूट का लाभ उठाया जा सकता है।
4. 7.5% का अतिरिक्त लाभ उठाया जा सकता है 31 मई 2008 तक तीन किश्तों का एक साथ भुगतान करके इसका लाभ लिया जा सकता है।
5. किश्तों के नियमित भुगतान पर सरचार्ज की राशि माफ की जा सकती है।

उक्त योजना का लाभ लेने के लिये कृषक अपने नजदीकी विद्युत वितरण केन्द्र में सम्पर्क करें।

- **कृषकों के हक में स्थायी पंप कनेक्शन हेतु योजना-**
  - निर्धारित प्रारूप में कृषि उपभोक्ता अपने खेत पर कृषि पंप कनेक्शन लेने हेतु आवेदन संबंधित विद्युत वितरण केंद्र में विद्युत प्रदाय संहिता 2004 में निहित प्रावधानों के अनुसार 31.5.2008 तक प्रस्तुत करना होगा।
  - निर्धारित आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र तथा स्वयं की जमीन जल उपलब्धता प्रमाण पत्र आदि जमा करना होगा।
  - आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्राप्त होने पर आवेदक के विरुद्ध विद्युत ऊर्जा की बकाया राशि निरंक होने पर ही स्वीकार की जायेगी।
  - आवेदन प्राप्त होने पर वितरण केन्द्र द्वारा आवश्यक सर्वे करवाकर आवेदन संभागीय कार्यालय को 15 दिन या अंतिक रूप से 15.6.2008 तक प्रेषित किये जायें।
  - नये पंप कनेक्शन हेतु प्रांक्कलन की अधिकतम राशि रुपये एक लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये। उक्त राशि से अधिक होने पर शेष राशि का भुगतान उपभोक्ता को स्वयं करना होगा उक्त कार्यों को कराने हेतु वित्तीय व्यवस्था निम्नानुसार की जायेगी।

(अ) **सीमान्त एवं लघु किसान :-** (0-2 हेक्टेयर भूमि स्वामी) आवेदक प्रांक्कलन की राशि का 25 प्रतिशत भुगतान करेंगे एवं शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान शासन द्वारा किया जायेगा।

(ब) अन्य के लिये :- आवेदक प्रांक्कलन की राशि का 40 प्रतिशत भुगतान करेंगे एवं शेष 60 प्रतिशत राशि का भुगतान शासन द्वारा किया जावेगा।

(स) सीमांत एवं लघु किसान द्वारा :- अन्य श्रेणी के साथ सम्मिलित होकर संयुक्त प्रांक्कलन में सम्मिलित होने पर शासन द्वारा कंडिका एक (2) व एक (3) में दिये गये प्रावधान के अनुरूप भुगतान किया जावेगा।

(द) प्राथमिकता :-

1. ऐसे कृषक जिनसे स्थायी पंप कनेक्शन हेतु पूर्व में राशि जमा कराई जा चुकी है यदि चार या उससे अधिक का समूह बनाकर कनेक्शन चाहते हैं तो उनको नियमानुसार वरीयता देकर कार्य किया जायेगा।
2. इनमें से अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को वरीयता देकर कार्य किया जायेगा।
3. चार अथवा अधिक कृषकों का समूह जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक कृषकों द्वारा पूर्व में स्थाई कनेक्शन हेतु राशि जमा कराई गई है को वरीयता दी जावेगी। इसी प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को विशेष वरीयता देकर कार्य किया जावेगा।
4. जिन कृषक उपभोक्ताओं द्वारा राशि पूर्व में स्थाई कनेक्शन हेतु जमा कराई गई है उन्हें वरीयता दी जावेगी। इनमें से ऐसे प्रकरण जहां अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों की संख्या 100 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक है उनको उच्च प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
5. योजना के अन्तर्गत आवेदन करने वाले कृषक/कृषक समूहों को आवेदन की तिथि के अनुसार वरीयता दी जावेगी।
6. अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषक/कृषक समूहों को प्रथम वरीयता प्रदान की जायेगी।

उक्त योजना का लाभ लेने के लिये कृषक अपने नजदीकी विद्युत वितरण केन्द्र में सम्पर्क करें।

---

11. श्रम विभाग

1. असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य निर्माण मजदूरों के लिये राहत योजना :-

असंगठित निर्माण मजदूरों के कल्याण के लिये राज्य स्तर पर एक 'कल्याण निधि' स्थापित की गई है जिसके संचालन के लिये म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन किया गया है।

निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों की समस्याओं के निवारण के लिये निम्नांकित कानून लागू किये गये हैं :-

1. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996
2. भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

- 'निर्माण श्रमिक' का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भवन या निर्माण कार्य में कुशल, अर्धकुशल, अकशुल श्रमिक के रूप में शारीरिक, पर्यवेक्षण, तकनीकी अथवा लिपिकीय कार्य वेतन या पारिश्रमिक के लिये कार्य करता है , किन्तु प्रबंधकीय या प्रशासकीय हैसियत में नियोजित व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं है।

पंजीयन की पात्रता :- योजना का लाभ लेने के लिये श्रमिकों को पंजीयन कराना आवश्यक है। पंजीयन के लिये ऐसे सभी 'निर्माण श्रमिक' पात्र होंगे जो शासन, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रमों, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की विभिन्न निर्माण योजनाओं के अंतर्गत सड़क, पुल-पुलिया, तालाब, नहर,भवन आदि के निर्माण कार्य में अस्थाई रूप से मजदूरी करते हैं।

- **निर्माण श्रमिक के** हिताधिकारी **के रूप में पंजीयन के लिये सहायक श्रमायुक्त, श्रम** पदाधिकारी, **सहायक श्रम** पदाधिकारी **एवं श्रम निरीक्षकों को पंजीयन हेतु प्राधिकारी अधिकृत हैं।**

2. निर्माण श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना :-

- इस योजना के तहत निर्माण श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि के लिए सहायता तथा अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है।
- पात्र हितग्राही :- 18 से 60 वर्ष की उम्र के ऐसे हिताधिकारी निर्माण श्रमिक जिनका पंजीयन हुआ है पात्र होंगे।
- निर्माण श्रमिक की मृत्यु के तुरंत अथवा एक सप्ताह के अंदर अंत्येष्टि सहायता राशि रुपये 2000 प्रदाय की जायेगी।

निर्माण श्रमिक की मृत्यु के कारण उसके उत्तराधिकारियों को :-

अ. 45 वर्ष से कम आयु में मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि रुपये 20,000/-

ब. 45 से 60 वर्ष की आयु में मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि रुपये 15,000/-

- अंत्येष्टि सहायता या अनुग्रह राशि का भुगतान जानबूझकर की गई आत्महत्या या मादक, द्रव्यों पदार्थों के सेवन से हुई मृत्यु अथवा अपराध करने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करके एक-दूसरे से हुई मारपीट से हुई मृत्यु की स्थिति में यह राशि प्रदान नहीं की जावेगी।
- आवेदन का परीक्षण कर एक सप्ताह की अवधि में चेक के माध्यम से सीधे आवेदक को या संबंधित श्रम कार्यालय के माध्यम से अंत्येष्टि सहायता का भुगतान किया जाता है ।
- मृतक श्रमिक के उत्तराधिकारी से प्राप्त आवेदन का परीक्षण, मृतक की आयु का सत्यापन कर एक से छह माह की अवधि में अनुग्रह राशि का भुगतान मृतक के उत्तराधिकारियों को किया जायेगा।

3. **प्रसूति सहायता योजना :-** महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसूति की स्थिति में प्रसूति पूर्व एवं प्रसूति पश्चात कुल 12 सप्ताह के लिये प्रसूति हितलाभ करने के लिए यह योजना प्रभावशील है।

- इस योजना के तहत निर्माण महिला कर्मकारों को जो कम से कम एक वर्ष से निधि की अभिदाय का संदाय कर रही हैं तथा महिला हिताधिकारी के रूप में पंजीबद्ध हैं एवं परिचय पत्र धारी हैं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी।
- प्रसव के समय महिला हिताधिकारी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- प्रसूति हितलाभ अधिकतम दो बार के प्रसव के लिये देय होगा।
- महिला श्रमिक की प्रसूति के समय बीमारी या जटिल चिकित्सा की अवधि में आगे लगातार काम से अनुपस्थित रहने के कारण उसे अधिकतम एक माह तक अतिरिक्त अवधि के लिये प्रसूति हितलाभ सुविधा प्रदान की जायेगी।
- ऐसी महिला निर्माण श्रमिक जो मंडल की निधि में मासिक अभिदाय जमा करने की चूक करती है उसे प्रसूति सहायता योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी।
- सहायता राशि रुपये 5000/-

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों के लिये प्रसूति के अधिकतम 60 दिन के अन्तर्गत् जनपद पंचायत को तथा नगरीय क्षेत्र में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/ सहायक श्रम आयुक्त/श्रम अधिकारी /श्रम निरीक्षक को आवेदन दिया जा सकता है।

शिक्षा सहायता छात्रवृत्ति योजना :- निर्माण श्रमिकों को बच्चों को उपयुक्त शिक्षा के लिये प्रेरित किये जाने के लिए आर्थिक सहायता से लाभान्वित किया जाता है।

- निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा सहायता प्रदान करने के लिये यह योजना लागू है।

- पात्र हितग्राही :-

1. पंजीबद्ध निर्माण कर्मकार हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री/पत्नी ही शिक्षा सहायता छात्रवृत्ति योजना के लिये पात्र होंगे।
2. छात्र या छात्रा शिक्षण संस्था में नियमित अध्ययनरत हो।
3. हिताधिकारी की पत्नी को छात्रवृत्ति की पात्रता के लिये उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक न हो तथा वह शिक्षण संस्था में नियमित अध्ययनरत हो।

- **छात्रवृत्ति का भुगतान** :- छात्रवृत्ति के लिये हिताधिकारी के दो बच्चों को ही पात्रता होगी।

क्र.	छात्रवृत्ति हेतु कक्षावार पात्रता	वार्षिक छात्रवृत्ति राशि	
		छात्र	छात्रा
1.	कक्षा 1 से 5 तक	500	750
2.	कक्षा 6 वीं से 8 वीं	750	1000
3.	9 वीं एवं 12 वीं	1,000	1,500
4.	स्नातक कक्षा जैसे बी.ए./बी.एस.सी./ बी.काम.,/डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम आदि	1,500	2,000
5.	स्नातकोत्तर कक्षा जैसे एम.ए./एम.एस.सी./ एम.काम./स्नातकोत्तर डिप्लोमा आदि	2,500	3,000
6.	स्नातक स्तर की व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने पर	3,000	4,000
7.	स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक परीक्षा में अध्ययन, पी.एच.डी. या शोध कार्य करने पर	4,000	5,000

छात्रवृत्ति/सहायता राशि का भुगतान एकमुश्त होगा। संस्था के प्राचार्य की जिम्मेदारी होगी कि पात्र छात्रों के आवेदन प्राप्त कर सहायता राशि एकमुश्त 31 मार्च तक वितरित करें।

5. **विवाह सहायता :-** पंजीबद्ध महिला श्रमिकों को स्वयं के विवाह, एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक न्यूनतम 5 महिला श्रमिकों के सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में।

सहायता राशिः- रुपये 6,000 (छः हजार रुपये)। न्यूनतम 5 महिला श्रमिकों के सामूहिक विवाह आवश्यक है।

6. **इण्डस बाल श्रम परियोजना :-** इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में बाल श्रम प्रथा का संपूर्ण उन्मूलन करना है।

बाल श्रम प्रथा के संपूर्ण उन्मूलन को देखते हुए भारत सरकार व अमेरिका सरकार के 50-50 प्रतिशत सहयोग से म.प्र. के पांच जिलों जबलपुर, कटनी, सागर, दमोह व सतना में यह परियोजना प्रारंभ है।

इस योजना के अंतर्गत बाल श्रमिकों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर निम्न सुविधायें दी जाती हैं :-

1. सौ रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति।
2. पाठ्यपुस्तकों का निःशुल्क प्रदाय।
3. मध्यान्ह भोजन।
4. निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण।
5. प्री-वोकेशनल ट्रेनिंग।

श्रम विभाग की उपरोक्त योजना क्रमांक 1 से 6 का लाभ प्राप्त करने के लिये ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र में सहायक श्रम आयुक्त/श्रम अधिकारी/ श्रम निरीक्षक को आवेदन करें।

---

12. जन्म-मृत्यु का पंजीयन कब, कहां, क्यों और कैसे ?

1. जन्म-मृत्यु का पंजीयन कब ?

1. प्रत्येक जन्म और मृत्यु की घटना का पंजीयन होना अनिवार्य है। इसका दायित्व घर के मुखिया, चिकित्सालयों, संस्था, हास्टल, धर्मशाला, छात्रावास आदि के भार साधक अधिकारियों का है।
2. परिवार में हुई जन्म अथवा मृत्यु की घटना का पंजीयन घटना होने के 21 दिनों तक आप निःशुल्क करवा सकते हैं।
3. समय पर पंजीयन करवाने से भविष्य में होने वाली परेशानियों एवं झंझटों से आप बच सकते हैं।

2. जन्म-मृत्यु का पंजीयन कहाँ करायें ?

1. नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका, नगर निगम एवं नगर पंचायत में।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत में।
3. ग्राम में कार्यरत ग्राम कोटवार/चौकीदार को जन्म एवं मृत्यु की घटना की जानकारी देकर भी पंजीयन कराया जा सकता है।
4. किसी भी जन्म या मृत्यु की घटना का पंजीयन उसी नगर या ग्रामीण पंजीयन केन्द्र पर होगा जिसके क्षेत्र में यह घटना हुई है।

5. ऐसे घुमन्तु समुदाय के लोग जिनका कोई स्थायी निवास नहीं है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर सतत घूमते रहते हैं उनके परिवारों में हुई जन्म-मृत्यु की घटना का पंजीयन भी उसी क्षेत्र के पंजीयन केन्द्र पर होगा, जहाँ ऐसी घटनायें हुई हैं।

6. रेल, मोटर या अन्य दुर्घटना के घटित होने पर मृत्यु का रजिस्ट्रेशन उसी क्षेत्र में पड़ने वाले पंजीयन केन्द्र पर ही होगा।

3. जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन क्यों ?

जन्म प्रमाण और मृत्यु की घटना के लिये मृत्यु का प्रमाण पत्र ही कानूनी एवं सर्वमान्य दस्तावेज है।

4. जन्म-मृत्यु का पंजीयन कैसे ?

1. जन्म अथवा मृत्यु की घटना की जानकारी अपने नगर की नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत अथवा ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राम पंचायत या ग्राम कोटवार/चौकीदार को जन्म अथवा मृत्यु की घटना के 21 दिनों के अन्दर देकर निःशुल्क जन्म अथवा मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

2. जन्म-मृत्यु की घटना यदि शहर के चिकित्सालय में होती है तो उसके माध्यम से जानकारी उस स्थान से पंजीयन कार्यालय को भेजी जावेगी। जहां से इसका प्रमाण पत्र प्राप्त हो सकेगा।

3. जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिनों के पश्चात किन्तु 30 दिनों की अवधि की घटना का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रजिस्ट्रार से अनुमति लेना होगी तथा रुपये 2/- (दो) विलम्ब शुल्क जमा करने पर प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

4. भूल गये तो क्या करें - तुरंत शपथ पत्र बनवाकर यदि घटना को एक साल नहीं हुआ तो रजिस्ट्रार के दफ्तर जायें वरना एस.डी.एम., तहसीलदार/नायब तहसीलदार महोदय से उस पर आदेश पारित करवाकर रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा।

5. गलती में सुधार रजिस्ट्रार द्वारा ही संभव है।

6. सही नाम जन्म के 12 महिने के अंदर लिखवायें (पप्पू, गुड़िया, जैसे नाम न लिखायें)

"भविष्य की कठिनाईयों एवं झंझटों से छुटकारा पाने के लिए समय पर जन्म-मृत्यु घटना का रजिस्ट्रेशन करायें" जन्म और मृत्यु की सूचना देने के लिए प्रारूप संबंधित पंजीयन कार्यालय में उपलब्ध रहता है।

पंजीयन कराने में यदि कोई कठिनाई या अड़चन आती है तो इसके लिए आप जिला विधिक सहायता अधिकारी से मिलकर कानूनी सलाह व सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

13. सोलेशियम स्कीम, 1989

1. योजना के तत्व एवं स्वरूप :

सोलेशियम स्कीम एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसमें अज्ञात वाहन की टक्कर से दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल/मृत व्यक्तियों के वारिसों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मध्यप्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन जिला प्रशासन एवं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत मृत्यु होने पर मृतक के वारिस को 25,000/- रुपये एवं गंभीर रूप से घायल होने पर घायल व्यक्ति को 12,500/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, दुर्घटनाकारी वाहन का पता चलने पर उससे घायल व्यक्ति/मृतक के वारिस मोटर वाहन कानून के प्रावधानों में दुर्घटना को मुआवजा प्राप्त कर सकता है।

2. योजना के क्रियान्वयन की विधि :

उक्त संबंध में संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार/एस.डी.एम. (दावा जांच अधिकारी) को लिखित आवेदन करना चाहिए, जिसमें दुर्घटना का स्थान, दिनांक व समय की पूरी जानकारी हो, आवेदन के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट मेडिकल/मृत प्रमाण-पत्र की छायाप्रतियां संलग्न की जाये।

3. तहसीलदार/एस.डी.एम. (दावा जांच अधिकारी) द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :

दावा जांच अधिकारी आवेदन पत्र प्राप्त होने पर दावे की सत्यता की जांच करेगा तथा एक माह में अपना जांच प्रतिवेदन दाव निपटान अधिकारी (कलेक्टर) को भेजेगा।

4. जांच निपटान अधिकारी (कलेक्टर) द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :

कलेक्टर, तहसीलदार/एस.डी.एम. से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं दुर्घटना से संबंधित सभी दस्तावेजों का परीक्षण कर 15 दिवस में दावे के भुगतान के संबंध में आदेश न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को भेजेगा उचित होने पर वह कारण लिखते हुए दावे को खारिज करेगा या अतिरिक्त जांच के लिए पुनः तहसीदार/एस.डी.एम. को भेजेगा।

कलेक्टर द्वारा पारित आदेशानुसार न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी 15 दिवस में संबंधित घायल को या मृतक के वारिसान को मुआवजे की राशि का भुगतान चेक द्वारा करेगी।

5. योजना के प्रभांवी क्रियान्वयन के लिए :

जिले के सभी थाना प्रभारियों को योजना की जानकारी देकर उन्हें यह निर्देश दियाजाये कि अज्ञात वाहन से दुर्घटना के प्रत्येक प्रकरण में सभी आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त कर अपनी फाइनल रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार/एस.डी.एम. (दावा जांच अधिकारी) को तत्काल देवें तथा वह पीड़ित व्यक्ति को सोलेशियम स्कीम की जानकारी देकर उसे दावा जांच अधिकारी के यहां आवेदन पेश करने हेतु प्रेरित करें।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनायें एवं कार्यक्रम

1. विधिक सेवा (विधिक सहायता एवं विधिक सलाह) योजना
2. लोक अदालत
3. विधिक साक्षरता शिविर योजना
4. विवाद विहीन ग्राम योजना
5. पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना
6. जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना
7. मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना
8. लीगल क्लीनिक
9. 'महिला एवं बाल सुरक्षा' - इकाई
10. 'श्रमिकों के विरुद्ध अपराध' - प्रकोष्ठ

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क कर सकते हैं -

1. उच्च न्यायालय स्तर पर- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जबलपुर, ग्वालियर एवं इन्दौर के सचिव अथवा वहां के जिला विधिक सहायता अधिकारी से,
2. जिला स्तर पर- जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी से,
3. तहसील स्तर पर- दीवानी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति से,
4. सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर से।